रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19122020-223764
CG-DL-W-19122020-223764

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 39] नई दिल्ली, दिसम्बर 6—दिसम्बर 12, 2020, शनिवार / अग्रहायण 15 — अग्रहायण 21, 1942
No. 39] NEW DELHI, DECEMBER 6-DECEMBER 12, 2020, SATURDAY/AGRAHAYANA 15-AGRAHAYANA 21, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

सा. का. नि. 186(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियम,1965 को, जहां तक इसका संबंध कार्यालय अधीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवास अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में कार्यालय अधीक्षक समूह 'ख' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, कार्यालय अधीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कार्यालय अधीक्षक	**12*** (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : संस्थान में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में 10 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले उच्च श्रेणी लिपिकों में से प्रोन्नति और जिन्होंने विभाग द्वारा विहित दो से चार सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (29200-92300 रु.) में या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रु.) या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 10 वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातन की उपाधि, और (ii) प्रशासनिक और स्थापन से संबंधित कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो । **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष (ii) सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली -सदस्य (iv) कमांडिंग ऑफीसर, सैन्य अस्पताल, कसौली या प्राधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (v) निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष (vi) सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य (vii)प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य (viii) कमांडिंग ऑफीसर, सैन्य अस्पताल, कसौली या प्राधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. ए. 12018/10/2015- ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 4th December, 2020

G.S.R. 186.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli, (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1965 in so far as it relates to the post of Office Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent, Group 'B' post in the Central Research Institute, Kasauli under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short Title and Commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Research Institute, Kasauli, Office Superintendant, (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. --The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.--The method of the recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. -- No person,--

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. -- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. -- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Office Superintendent.	12 * (2020) * Subject to variation dependant on workload.	General Central Service, Ministerial, Non-Gazetted, Group'B'	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1, 12,400).	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	50 percent by promotion failing which by deputation and 50 percent by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion : Upper Division Clerks of the institute in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with 10 years regular service in the grade; and having successfully completed of two to four weeks mandatory training as prescribed by the department.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (i) Director, Central Research Institute, Kasauli : Chairman (ii) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli : Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central or State Government or Union territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with 10 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) Bachelors Degree from a recognised University or institute, and (ii) Two years experience in the work relating to administration and establishment. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily	(iii) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli : Member (iv) Commanding Officer Military Hospital, Kasauli or authorised representative : Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (i) Director, Central Research Institute, Kasauli : Chairman (ii) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli : Member (iii) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli : Member (iv) Commanding Officer Military Hospital, Kasauli or authorised representative : Member	

not exceed three years. **Note 3:** The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.		

[No. A-12018/10/2015-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 187.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में कनिष्ठ अनुवादक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल आयोग, कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैटिक्स मे स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ अनुवादक	4*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर-6	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम से हिंदी में मास्टर डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री; या (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री; या (v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न् किसी विषय में मास्टर डिग्री जो डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में हों; और (vi) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों

						या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जांए कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं या कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभाग पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी:- (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा ।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) मुख्य इंजीनियर (मानव संसाधन प्रबंध), केंद्रीय जल आयोग - अध्यक्ष (2) निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय जल आयोग - सदस्य (3) किसी तकनीकी निदेशालय का निदेशक, केंद्रीय जल आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. ए-35/16/2009-ई-1]

ए.के. दास, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 30th November, 2020

G.S.R. 187.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Central Water Commission (Junior Translator) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, Junior Translator (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen

and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Selection post or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translator.	04* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'.	Level-6 in the pay matrix (Rs. (35,400-1,12,400).	Not applicable.	Thirty years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pange Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Educational Qualifications: (i) Masters degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (ii) Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iii) Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or (iv) Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or (v) Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and	Not applicable.	Two years.	**Direct recruitment** **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (vi) Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and Vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or State Government office, including Government of India undertakings. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Chief Engineer (Human Resource Management), Central Water Commission – Chairman 2. Director (Administration), Central Water Commission – Member 3. Director of any Technical Directorate, Central Water Commission – Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[No. A-35/16/2009-E-I]

A. K. DAS, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2019

सा.का.नि. 188.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र आयुक्त (समूह “ग” और समूह “घ” अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1989 को, जहाँ तक उसका संबंध बुनाई विशेषज्ञ पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय के वस्त्र आयुक्त कार्यालय में बुनाई टेक्नोलोजिस्ट पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र आयुक्त कार्यालय, बुनाई टेक्नोलोजिस्ट (समूह "ख") पद भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पदों की संख्या वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन-मेट्रिक्स में स्तर वें होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया हैं, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता हैं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ो वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या गैर चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बुनाई टेक्नोलोजिस्ट	20 * (2019) - (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (रु. 35,400-1,12,400)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। **टिप्पण-1** : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं । **टिपण्ण -2** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो	**आवश्यक -:** 1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वस्त्र प्रौद्योगिकी या वस्त्र रसायनशास्त्र में स्नातक डिग्री। अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से वस्त्र प्रौद्योगिकी या वस्त्र रसायनशास्त्र में डिप्लोमा और पावरलूम पर बुनाई एवं कार्य करने का दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । **टिप्पण 1 –** अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।

					असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।	**टिप्पण 2 –**अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएँ) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति :** सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समामेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण:** पदधारी द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में दूर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ को केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता हैं, जो (क) जिन्होने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किया हुआ है । (क) स्तम्भ के (7) अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समामेलन या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समामेलन किया जाएगा ।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि हेतु विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगें – 1. अपर अथवा संयुक्त वस्त्र आयुक्त - अध्यक्ष 2. प्रशासन के प्रभारी निदेशक अथवा उपनिदेशक – सदस्य 3. सहायक निदेशक श्रेणी –1 – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[सं. ए-46013/27/2015- स्था.]

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 14th March, 2019

G.S.R. 188.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Textile Commissioner (Group 'C' and 'D' Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules**,** 1989,in so far as they relate to the post of Expert Weaver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Weaving Technologist, in the Office of the Textile Commissioner in the Ministry of Textiles, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Textile Commissioner, Weaving Technologist (Group 'B'), Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix.—The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and in consultation with Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether Selection or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Weaving Technologist.	20 * (2019) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not-applicable.	Not exceeding 30 years. **Note 1**: (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the central Government). **Note 2:** The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep).	**Essential:** (1) Bachelor' Degree in Textile Technology or Textile Chemistry from a recognised University or Institute. Or Diploma in Textile Technology or Textile Chemistry or Textile Manufacture from a recognised Board or Institute with two years of practical experience of weaving and working on powerloom. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, If any.	Method of recruitment whether by direct recruitment. or by promotion or by deputation or absorption or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption or transfer grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee exists what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not-applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study	Not- applicable.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (i) Additional Textile	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

		leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department. (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		Commissioner or Joint Textile Commissioner - Chairman (ii) Director or Deputy Director-In Charge of Administration – Member (iii) Assistant Director Grade-I – Member	

[No. A-46013/27/2015-Estt.]

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 189.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निदेशक (तकनीकी) समूह 'क' पद वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय का भर्ती नियम, 2010, को जहां तक उनका सम्बन्ध निदेशक (तकनीकी) के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में निदेशक (तकनीकी) के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम, वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, निदेशक (तकनीकी), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2019 होगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि**.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ एवं अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग ,भूतपूर्व – सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रावधान करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक योग्यताएं, पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. निदेशक (तकनीकी)	5 (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 12 (78800-209200/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
66.67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित।) द्वारा ओर 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित।) द्वारा	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 11(रु. 67700-208700) में उप-निदेशक (तकनीकी) एवं उप निदेशक (तकनीकी – रसायन प्रसंस्करण) नियुक्ति के पश्चात इस पद में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1 :** प्रोन्नति की पात्रता सूची, संबन्धित ग्रेड में पद पर अधिकारियों द्वारा निर्धारित अर्हता सेवा पूरी किए जाने की तारीख को संदर्भ में तैयार की जाएगी । **टिप्पण 2:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो,वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,इनमें से जो भी कम हो,कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों

	सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : (क) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत निकाय अथवा कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी, (i) जो अपने मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने अपने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 11(.67700-208700) रु के पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्षों की सेवा की हो ।; और (ख) निम्नप्रकार की शैक्षणिक अर्हता और अनुभव प्राप्त : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से वस्त्र अथवा वस्त्र विनिर्माण अथवा वस्त्र प्रौद्योगिकी अथवा वस्त्र इंजिनियरींग अथवा वस्त्र रसायन अथवा वस्त्र प्रसंस्करण अथवा रसायन इंजीनियरिंग डिग्री; और वस्त्र से संबन्धित क्षेत्र में प्रबंधकीय क्षमता में 10 वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिती है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
विभागीय समूह 'क' प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : (i) अध्यक्ष अथवा सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (ii) संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय - सदस्य; (iii) वस्त्र आयुक्त अथवा अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त अथवा संयुक्त वस्त्र आयुक्त (तकनीकी), वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई - सदस्य	किसी अधिकारी को प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[सं. 46013/14/2017-स्थापना]

जयश्री शिवकुमार, उप सचिव

New Delhi, the 10th November, 2020

G.S.R. 189(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Textile Commissioner, Director(Technical), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2010, in so far as they relate to the post of Director(Technical), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of

recruitment to the post of Director(Technical), in the Ministry of Textiles, Office of the Textile Commissioner, namely:-

1. Short title and commencement.—(1)These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of Textile Commissioner, Director (Technical) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix**.—**The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non – selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director (Technical).	5* (2019) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	66.67 per cent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract); and 33.33 per cent. by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: Deputy Director (Technical) and Deputy Director (Technical-Chemical Processing) with five years' regular service in level-11(Rs.67700-208700 in the pay matrix in the grade. **Note 1 :** The eligibility list of promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service for promotion in their respective grade or post. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-11(Rs.67700-208700) in the pay matrix, in the parent cadre or Department; and	***Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-*** (i) Chairperson or Member, Union Public Service Commission –Chairman (ii) Joint Secretary, Ministry of Textiles – Member (iii) Textile Commissioner or Additional Textile commissioner or Joint Textile Commissioner (Technical), Office of the Textile Commissioner, Mumbai - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on promotion or deputation (including short-term contract).

(b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree in Textiles or Textile Manufacturing or Textile Technology or Textile Engineering or Textile Chemistry or Textile Processing or Chemical Technology or Chemical Engineering or equivalent from a recognised University; and ten years' experience in managerial capacity in the textile related field in a Government Department or organisation. **Note 1 :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short term contract) in another E*x-cadre* post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3 :** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceed fifty-six years as on the closing date of the receipt of the applications		

[No.A-46013/14/2017-Estt.]

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 190.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपर वस्त्र आयुक्त समूह 'क' पद वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय का भर्ती नियम, 2010 को, जहाँ तक उसका सम्बन्ध अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2019 होगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**— उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि.–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **निरर्हता .**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति .**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग, भूतपूर्व – सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रावधान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक योग्यताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा

					आयु-सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	में लागू होंगी या नहीं		आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनन्नुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 13 A (131100-216600/- रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिती है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<u>प्रोन्नति</u> : वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 13 (123100-215900 रु.) में के ऐसे संयुक्त वस्त्र आयुक्त, संयुक्त वस्त्र आयुक्त (तकनीकी), संयुक्त वस्त्र आयुक्त (कपास), संयुक्त वस्त्र आयुक्त (आर्थिकी) के पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 2 वर्षं की सेवा पूरी की हो। **<u>टिप्पण 1</u> :** अधिकारी द्वारा अपनी ग्रेड में प्रोन्नति के लिए निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख से पात्रता सूची तैयार की जाएगी। **<u>टिप्पण 2</u>:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,इनमें से जो भी कम हो,कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति</u> (अल्पकालिक संविदा सहित) :** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति ; (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए):-** 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग --अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय --सदस्य 3. वस्त्र आयुक्त, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई -- सदस्य	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध सरकारी अथवा स्वायत्त निकाय अथवा कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी, (क) (i) जो अपने मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने अपने मूल काडर / विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 13 (123100-215900 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 2 वर्षों की सेवा की हो।; और (ख) जिनके पास निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो: **<u>आवश्यक:-</u>** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से स्नातक डिग्री; (ii) सामान्य प्रशासन अथवा व्यापार अथवा उद्योग अथवा आर्थिक और औद्योगिक नीति अथवा वित्त अथवा मानव संसाधन विकास में 12 वर्षों का अनुभव । **<u>वांछनीय योग्यता</u> :-** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अथवा समतुल्य से बिजनेस प्रशासन अथवा बिजनेस उद्यमियता में स्नातकोत्तर डिग्री । **<u>टिप्पण 1</u> :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करने के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **<u>टिप्पण 2</u> :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले		

धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[सं. 46013/14/2017-स्थापना]

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 13th November, 2020

G.S.R. 190(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of Textile Commissioner, Additional Textile Commissioner, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2010, in so far as they relate to the post of Additional Textile Commissioner, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Textile Commissioner in the Ministry of Textiles, Office of Textile Commissioner, namely :-

1. Short title and commencement.—(1)These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of Textile Commissioner, Additional Textile Commissioner, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of posts, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non –selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Additional Textile Commissioner.	01* *(2019) Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13A in the pay matrix (Rs.131100-216600).	Selection post

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Joint Textile Commissioner, Joint Textile Commissioner (Technical), Joint Textile Commissioner (Cotton) and Joint Textile Commissioner (Economics) with two years' regular service in level-13 (Rs.123100-215900) in the grade. **Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service for promotion in their respective grade or post. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Chairperson or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Textiles – Member 3. Textile commissioner, Office of the Textile Commissioner, Mumbai. – Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union territories administration or public sector undertakings or recognised research institutions or semi Government or autonomous bodies or statutory organisations ,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment threreto on a regular basis in level-13 (Rs.123100-215900) in the pay matrix in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- **Essential:** (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) twelve year's experience in general administration or Trade or Industry or Economic and Industrial policy or Finance or Human resource development. **Desirable:** (i) Post graduate degree from a recognised University or equivalent; (ii) Master' Degree in Business Administration or in Business Entrepreneurship from a recognised University or Institute or equivalent. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

Note 2: Period of deputation (including short term contract), including the period of deputation (including short term contract) in another E*x-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.		

[No. A-46013/14/2017-Estt.]

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 191.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और **"**वर्ग **I** और वर्ग **II"** राजपत्रित पद (वस्त्र आयुक्त का कार्यालय तथा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड) भर्ती नियम, 1970 का जहां तक उसका संबंध सलाहकार (रुई) (जिसे सा. का. नि. क्रमांक 321 तारीख 03.05.1986 द्वारा संयुक्त वस्त्र आयुक्त (रुई) के रूप में पुनर्पदनामित किया गया है।) के पद से है, वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त कार्यालय में संयुक्त वस्त्र आयुक्त (रुई) के पद के भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1)** इस नियम का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, संयुक्त वस्त्र आयुक्त (रूई) समूह 'क' राजपत्रित भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, **वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण, एवं वेतन मैट्रिक्स में इनका स्तर और वेतन इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में है।

3.**भर्ती की पद्धती**,**आयु-सीमा**,**अन्य अर्हताएं आदि**.—भर्ती की पद्धती, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य बातें और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ **(5)** से **(13)** में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति,जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या अनुबंध किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं ,तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आव्श्यक या समीचीन है,वहॉ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करने के बाद नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग या व्यक्तियों के संबंध में,आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी,जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व-सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. संयुक्त वस्त्र आयुक्त (रुई)	1* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित) अननुसचिवीय	स्तर – 13 (रु. 123100-215900/-)	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। **टिप्पण** 1- केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण** 2- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख होगी- (यह कि तारीख आसाम,मेघालय,अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर राज्य, लाहौल एवं स्पीती जिलों एवं चम्बा उप खंण्ड के पांगा जिलों हिमाचल प्रदेश के तथा अंदमान और निकोबार और लक्षद्वीप के लिए अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक-: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। (ii) वस्त्र संगठन के क्षेत्र में बारह वर्ष का अनुभव या सरकारी विभाग में वस्त्र या रूई संबंधी मामलो जिसमें से पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव शामिल है। (i) वांछनीय- एमबीए या सामग्री प्रबंधन में या खरीद प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (ii) दो वर्ष का वाणिज्य में क्रय , सामग्री हैण्डलिंग एवं विपणन का अनुभव। (iii) दो वर्ष का विशेषकर रुई से सम्बद्ध	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित।)

विनियमित व्यापार में प्रशासनिक अनुभव । **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हत अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय/संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जए संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपल्ब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिती है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : **1.** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध सरकार अथवा स्वायत निकाय अथवा कानूनी संगठनों के अधिकारी, (क) (i) जो अपने मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण हो अथवा (ii) जिन्होंने अपने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर –12 के पद में या समतुल्य पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्षो की सेवा की हो। ; और (ख) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए स्तंभ 7 में विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।; **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य	**विभागीय समूह 'ए' पुष्टिकरण समिति ; (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल है :** (i) संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय - अध्यक्ष (ii) वस्त्र आयुक्त, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय - सदस्य (iii) अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त, वस्त्र आयुक्त कार्यालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[सं. 46013/11/2016-स्थापना I]

जयश्री शिवकुमार, उप सचिव

New Delhi, the 10th January, 2020

G.S.R. 191.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in the supersession of "Class I and Class II" Gazetted Posts (Office of the Textile Commissioner and the All India Handloom Board) Recruitment Rules, 1970in so far as they relate to the post of Adviser (Cotton) (redesignated as Joint Textile Commissioner (Cotton) vide GSR No. 321 dated 03.05.1986),the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Textile Commissioner (Cotton), Group A Gazetted post in the Ministry of Textiles, Office of the Textile Commissioner, namely:-

1. Short title and commencement.—(1)These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Textile Commissioner, Joint Textile Commissioner (Cotton), Group A Gazetted Recruitment Rules, 2019.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and l evel in the paymatrix.— The number of post, its classification and the l evel in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns(2) to (4).of the Schedule annexed to these rules

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether Selection of Non-Selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Joint Textile Commissioner (Cotton)	One* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Not-applicable.	Not exceeding fifty years. **Note 1:** (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 2:** The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep).	Essential: (i) Degree of a recognized university. (ii) Twelve years' experience in the field of Textile Organisation or in Government departments dealing with matters relating to textiles or cotton including five years administrative experience. Desirable: (i) MBA or PG diploma in materials management or purchase management. (ii) Two years' experience of commerce in purchasing, material handling and marketing. (iii) Two years' administrative experience in organisation engaged or connected with regulating trading in cotton. **Note 1:** qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission. For reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** the qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in

						writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, If any.	Method of recruitment. whether by direct recruitment or by deputation or absorption or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not-applicable	1 year for direct recruits	By deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption or transfer grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee exists what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short terms contract): I. Officers under the Central Government or State Government orUnion Territories orRecognized Research Institutions orUniversities or Public Sector Undertakings orStatutory or Autonomous Organisation: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis. Or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis the level 12 in the pay matrix or equivalent: and (b) possessing the educational	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (i) Joint secretary, Ministry of Textiles - Chairman (ii) The Textile Commissioner, Office of the Textile Commissioner - Member (iii) Additional Textile Commissioner, Office of the Textile Commissioner -Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note :** period of deputation (istc) including period of deputation (istc) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (istc) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[No. 46013/11/2016-Establishment]

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.